

दिनांक - 16.10.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 394/411 भादवि के आरोपी अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास व 1,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

#### कार्यवाही -

दिनांक 25.06.2016 को वादी ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि वादी शाम के समय अपनी ड्यूटी समाप्ति के बाद करबा अफजलगढ से मोटरसाइकिल द्वारा अपने निवास स्थान धामपुर आ रहा था तो रास्ते मे ग्राम नसीरदीवाला जाने वाले तिराहे के पास हाइवे पर चार अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ लाठी-डन्डों से मारपीट की गई तथा वादी से सरकारी दस्तावेज, मोबाइल फोन व नगदी छीनकर भाग गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 157/16 धारा 394 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में दिनेश उर्फ हरिनंदन पुत्र सियाराम निवासी बुझिया सुमाली थाना भोजीपुरा जनपद बरेली का नाम प्रकाश में आया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 411 भादवि वृद्धि की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 16.10.2024 को मा० न्यायालय ऐ०सी०जे०एम०- द्वितीय जनपद बिजनौर द्वारा धारा 394/411 भादवि के आरोपी अभियुक्त दिनेश उर्फ हरिनंदन पुत्र सियाराम निवासी बुझिया सुमाली थाना भोजीपुरा जनपद बरेली को 07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया।

## दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता -

दिनेश उर्फ हरिनंदन पुत्र सियाराम निवासी बुझिया सुमाली थाना भोजीपुरा जनपद बरेली



दिनांक - 16.10.2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा पॉक्सो अधिनियम के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 60,000 /- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

#### कार्यवाही -

दिनांक 28.09.2021 को वादी ने थाना मंडावर पर तहरीर दी कि वादी की पुत्री दिनांक 27.09.2021 की शाम से लापता है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मंडावर पर मु0अ0सं0 248/21 धारा 363 भादिव बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में गौरव पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गुनियापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर का नाम प्रकाश में आया तथा अभियोग से सम्बंधित अपहृता को बरामद किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 376 भादिव व धारा ¾ पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी। विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में बिजनौर पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा० न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी की गयी तथा अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 16.10.2024 को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जनपद बिजनौर द्वारा धारा 4 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 363 भादिव के आरोपी अभियुक्त गौरव पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गुनियापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 60,000 /- रुपये के अर्थदण्ड से दिण्डत किया गया। अर्थदण्ड की कुल धनराशि साठ हजार रुपये में से पचास हजार रुपये पीडिता को प्रतिकर के रुप में देय होंगे।

### दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता -

गौरव पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गुनियापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर



प्रेस नोटः- थाना चांदपुर

दिनांक 16.10.2024

### थाना चादंपुर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

#### कार्यवाही -

थाना चांदपर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रमजानी पुत्र बुन्दू खां निवासी मौहल्ला मुफ्ती सराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रमजानी पुत्र बुन्दू खां निवासी मौहल्ला मुफ्ती सराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

# गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 अजीत थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2. आरक्षी 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर





प्रेस नोटः- थाना धामपुर

दिनांक 16.10.2024

# थाना धामपुर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

#### कार्यवाही -

थाना धामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम ढक्काकर्मचन्द थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सुरेन्द्र पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम ढक्काकर्मचन्द थाना धामपुर जनपद बिजनौर

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 साजिद अली थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.आरक्षी 241 प्रशान्त थाना धामपुर जनपद बिजनौर



#### जनपद बिजनौर प्रेस नोट- थाना नगीना देहात

दिनांक- 16.10.2024

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 220/24 धारा 109/115(2)/351(2)/352 बीएनएस से संबंधित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

#### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.10.2024 को वादी श्री लवकुमार पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी ग्राम रायपुर सादात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ने थाना नगीना देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.सेवाराम पुत्र थानी सिंह, 2.अंकित पुत्र सेवाराम, 3.अंशुल पुत्र सेवाराम व 4.कविता पत्नी सेवाराम समस्त निवासीगण ग्राम रायपुर सादात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा वादी



की माता जी व बहन के साथ रास्ते के विवाद को लेकर गाली गलौच करते हुए लाठी-डन्डों से मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई। तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 220/24 धारा 109/115(2)/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

#### कार्यवाही -

थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्तगण 1.सेवाराम पुत्र थानी सिंह, 2.अंकित पुत्र सेवाराम, 3.अंशुल पुत्र सेवाराम व 4.कविता पत्नी सेवाराम समस्त निवासीगण ग्राम रायपुर सादात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1.सेवाराम पुत्र थानी सिंह निवासी ग्राम रायपुर सादात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 2.अंकित पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम रायपुर सादात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 3.अंशुल पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम रायपुर सादात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 4.कविता पत्नी सेवाराम निवासी ग्राम रायपुर सादात थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

### अपराधिक इतिहास अंशुल उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0 219/23 धारा 363/376/504/506 भादावि व धारा 3/4 पॉक्सो अधि0 थाना नगीना देहात बिजनौर।
- 2. मु0अ0सं0 220/24 धारा 109/115(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना नगीना देहात बिजनौर। **पुलिस टीम का विवरण-**
- 1.उ0नि0 मिलाप सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 2.का0 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 3.का० ८०२ सोहनवीर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
- 4.म0का0 1392 प्रकृति थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।